रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D) 72.

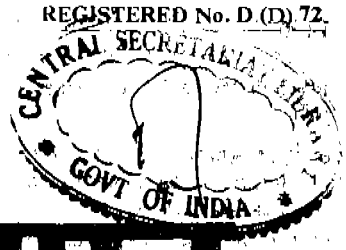

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section ( )

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 532] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 1978/अग्रहायण 10, 1900
No. 532] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1978/AGRAHAYANA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर 1978

का०आ० 695 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 15 नवम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली अयोध्या चीनी मिल लिमिटेड (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है) के पास, 15 नवम्बर, 1978 के पूर्व क्रय किए गये गन्ने के संबंध में, गन्ना विकास संबंधी देय, चालू वर्ष 1977-78 के दौरान उक्त चीनी उपक्रम के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार क्रय किए गए गन्ने की कुल कीमत के दस प्रतिशत से अधिक तक बकाया है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम के स्वामी को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 18 नवम्बर, 1978 को सूचना संख्या चीनी /112/78-79 जारी की थी जिसमें उससे यह कहा गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताए, जिनके कारण उक्त चीनी उपक्रम 15 नवम्बर, 1978 को या उसके पूर्व चीनी का विनिर्माण प्रारम्भ करने में असफल रहा है तथा उक्त चीनी उपक्रम गन्ना संबंधी देय के उक्त बकाया को चुकता करने में असफल रहा है और यह हेतुक दर्शित करे कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा क्यों न ग्रहण कर लिया जाए;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त चीनी उपक्रम की ओर से खेतान एण्ड पार्टनर्स, हिमालय, हाउस, 23, कस्तूरबा गान्धी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट एस आर/एम-5635, तारीख 25-11-1978 पर विचार करने के पश्चात्, उन परिस्थितियों की बाबत जिनके कारण गन्ना संबंधी देय दस प्रतिशत से अधिक तक बकाया रह गया है और गन्ना संबंधी देय के उक्त बकाया को चुकता करने में उक्त चीनी उपक्रम की असमर्थता की बाबत समाधान नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध, 2 दिसम्बर, 1978 को और इससे प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

[मि०सं० चीनी/112/78-79]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(Department of Food)
ORDERS

New Delhi, the 1st December, 1978.

S. O. 695 (E):—Whereas the Central Government being satisfied that as on the 15th day of November, 1978, the Ajudhia Sugar Mills Ltd., (hereafter in this Order referred to as the said sugar undertaking) manufacturing sugar at Raja Ka Sahaspur in the District of Muradabad in the State of Uttar Pradesh has, in relation to the cane purchased before the 15th day of November, 1978, arrears of cane dues to the extent of more than ten per cent of the total price of the cane so purchased for the pur-

poses of the said sugar undertaking during the 1977-78 sugar year;

And whereas the Central Government of the 18th day of November, 1978, issued Notice No. SUG/112/78-79 under sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner of the said sugar undertaking calling upon him to report in writing within seven days from the date of receipt of the said notice the circumstances under which the said sugar undertaking has failed to commence the manufacture of sugar on or before the 15th day of November, 1978, and the said sugar undertaking has failed to clear the said arrears of cane dues, and to show cause as to why the management of the said sugar undertaking should not be taken over by the Central Government;

And whereas the Central Government, having considered the report SR/M—5635 dated 25-11-1978 sent by Khaitan & Partners, Himalaya House, 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi on behalf of the said sugar undertaking, is not satisfied with the circumstances for having the arrears of cane dues in excess of ten per cent. and with the liability of the said sugar undertaking to clear the said arrears of cane dues;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the said Ordinance, the Central Government hereby declares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the second day of December, 1978.

[F. No. SUG/112/78—79]

का०आ० 696 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 15 नवम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले में हरदोई स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लिमिटेड (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है) के पास, 15 नवम्बर, 1978 के पूर्व क्रय किए गए गन्ने के संबंध में, गन्ना संबंधी देय, चीनी वर्ष 1977-78 के दौरान उक्त चीनी उपक्रम के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार क्रय किए गए गन्ने की कुल कीमत के दस प्रतिशत से अधिक तक बकाया है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम के स्वामी को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 18 नवम्बर, 1978 को सूचना सं० चीनी/104/78-79 जारी की थी, जिसमें उससे यह कहा गया था कि वह उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताए, जिनके कारण उक्त चीनी उपक्रम, गन्ना संबंधी देय के उक्त बकाया को चुकता करने में असफल रहा है और यह हेतुक दर्शित करे कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा क्यों न ग्रहण कर लिया जाए;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त चीनी उपक्रम की ओर से खेतान एण्ड पार्टनर्स, हिमालय हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट एस आर/एम-5634, तारीख 25-11-1978 पर विचार करने के पश्चात, उन परिस्थितियों की बाबत जिनके कारण गन्ना संबंधी देय दस प्रतिशत से अधिक तक बकाया रह गया है और गन्ना संबंधी देय के उक्त बकाया को चुकता करने में उक्त चीनी उपक्रम की असमर्थता की बाबत समाधान नहीं हुआ है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध, 2 दिसम्बर 1978 को और से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित होगा ।

[चीनी/104/78-79]

सी०एन० राघवन, संयुक्त सचिव

S. O. 696 (E):—Whereas the Central Government being satisfied that as on the 15th day of November, 1978, the Lakshmi Sugar and Oil Mills Ltd. (hereafter in this Order referred to as the said sugar undertaking) manufacturing sugar at Hardoi in the District of Hardoi in the State of Uttar Pradesh has, in relation to the cane purchased before the 15th day of November, 1978, arrears of cane dues to the extent of more than ten per cent of the total price of the cane so purchased for the purposes of the said sugar undertaking during the 1977-78 sugar year;

And whereas the Central Government on the 18th day of November, 1978, issued Notice No. SUG/104/78-79 under sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner of the said sugar undertaking calling upon him to report in writing within seven days from the date of receipt of the said notice the circumstances under which the said sugar undertaking has failed to clear the)said arrears of cane dues, and to show cause as to why the management of the said sugar undertaking should not be takenover by the Central Government;

And whereas the Central Government, having considered the report SR/M—5634 dated 25-11-1978 sent by Khaitan & Partners, Himalaya House, 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi on behalf of the said sugar undertaking is not satisfied with the circumstances for having the arrears of cane dues in excess of ten per cent. and with the liability of the said sugar undertaking to clear the said arrears of cane dues;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the said Ordinance, the Central Government hereby delcares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the second day of December, 1978.

[F. No. SUG/104/78—79]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978